सम-सामयिक
घटना चक्र
परीक्षा संवाद के 28 वर्ष

www.ssgcp.com
shop.ssgcp.com
ssgcp.in
rkhoj.com
ssghatnachakra
ssgc.gs.qa
Ssgcpssgcp
SamsamyikGhatna

2021

GK (जीके) का उन्नत संस्करण

GK A (जीका)

GK A

General Knowledge Awareness

सामान्य ज्ञान जागरूकता

GKA क्यों?

क्योंकि
बदलती जानकारियों के प्रति
जागरूकता जरूरी
पृष्ठ - 4 पर देखें कुछ उदाहरण

परीक्षोन्मुख (Exam Oriented)
बदलती परीक्षा प्रवृत्ति से निर्देशित

अद्यतन सुरक्षा (Updation Security)
अद्यतन सूचना त्वरित वेबसाइट पर प्रदर्शित

प्रमाणीकृत पाठ्य (Certified Text)
प्रकाशित सामग्री के प्रमाण संचित

© प्रकाशकाधीन :
संस्करण - द्वितीय
संस्करण वर्ष- 2021
ले.- SSGC
ISBN No.:

मूल्य : 210/-
मुद्रक- भार्गव प्रेस
मुद्रण क्रम - द्वितीय

संपर्क-
सम-सामयिक घटना चक्र
188A/128 एलनगंज, चर्चलेन
प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211002
Ph.: 0532-2465524, 2465525
Mob.: 9335140296
e-mail : ssgcald@yahoo.co.in
Website : ssgcp.com
e-shop Website : shop.ssgcp.com

■ इस प्रकाशन के किसी भी अंश का पुनः प्रस्तुतीकरण या किसी भी रूप में प्रतिलिपिकरण (फोटोप्रति या किसी भी माध्यम में ग्राफिक्स के रूप में संग्रहण, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिकीकरण द्वारा जहां कहीं या अस्थायी रूप से या किसी अन्य प्रकार के प्रसंगवश इस प्रकाशन का उपयोग भी) कॉपीराइट के स्वामित्व धारक के लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार से इसके भंग होने या अनुमति न लेने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

*इस प्रकाशन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज (इलाहाबाद) के न्यायालय न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

संकलन सहयोग-
- डॉ. राजन गुप्ता
- डॉ. पंकज कुमार राय
- आशुतोष श्रीवास्तव
- शिव शंकर तिवारी
- अजीत पाण्डेय
- उमेश प्रताप सिंह
- ललिन्द्र कुमार
- विवेक कुमार त्रिपाठी
- शशि चन्द्र उपाध्याय
- अभिषेक कुमार
- रजनीश शुक्ला
- फैज़ुल इस्लाम अंसारी
- आनंद कुमार प्रजापति

समारंभ

'सामान्य ज्ञान' हासिल करने का अर्थ है विस्तृत विषय क्षेत्रों के साधारण जानकारियों से अवगत होना, जबकि **'सामान्य ज्ञान जागरूकता'** का अर्थ है किसी ज्ञान के अद्यतन संदर्भों के कारण होने वाले बदलाव से भी अवगत होना। इसमें हम उस ज्ञान को भी जोड़ सकते हैं, जो सम्यक स्रोतों तक पहुंचने के पश्चात तथ्यों में बदलाव से हमें अवगत कराता है।

उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तेलंगाना के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 29 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 7 हो गयी थी, परंतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के उपरांत भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गयी। तदुपरांत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्रशासित प्रदेशों यथा 1. दादरा और नागर हवेली तथा 2. दमन और दीव का आपस में विलय हो जाने के उपरांत केंद्रशासित प्रदशों की संख्या पुनः घटकर 8 हो गयी। भारत में राज्यों की संख्या एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या के संदर्भ में इस नवीन तथ्य से अवगत रहना ही सामान्य ज्ञान की जागरूकता है।

इसी प्रकार सिक्किम राज्य की स्थापना की तिथि ढेरों पुस्तकों में 26 अप्रैल, 1975 दर्शायी गयी है, जबकि सिक्किम राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे 16 मई, 1975 बताया गया है। सही तथ्य तक पहुंचने के लिए सम्यक स्रोत तक पहुंचकर जानकारी हासिल करना भी सामान्य ज्ञान की जागरूकता का ही हिस्सा है। सामान्य ज्ञान की प्रस्तुत पुस्तक में हमने यही कोशिश की है कि प्रत्येक तथ्य के अद्यतन संदर्भों से अवगत रहा जाए और जानकारी के लिए सम्यक आधिकारिक स्रोतों तक पहुंचा जाए।

यह काम हम पुस्तक प्रकाशन की तिथि तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आपकी प्रिय पुस्तक छपकर जब आपके हाथ में रहेगी, तब भी हम आपके लिए यह काम करते रहेंगे। प्राप्त सभी जानकारी हम अपनी वेबसाइट और फेस बुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बस इतना जागरूक रहना है कि परिवर्तित जानकारियों को अपनी पुस्तक के संबंधित पृष्ठों पर अंकित करते रहें और अद्यतन रहने के आत्मविश्वास से परिपूरित रहें।

GK^A पुस्तक से आपने कितना ज्ञान आत्मसात किया, इसके लिए **GK^A Test** की भी व्यवस्था की गयी है। विस्तृत जानकारी के लिए आवरण पृष्ठ-4 देखें।

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था **5-32**

1. भारत का संवैधानिक विकास, 2. संविधान के स्रोत, 3. संविधान की प्रस्तावना, 4. अनुसूची, 5. भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 6. नागरिकता, 7. मौलिक अधिकार, 8. राज्य के नीति-निदेशक तत्व, 9. मौलिक कर्तव्य, 10. संघीय कार्यपालिका, 11. संविधान में संशोधन, 12. उच्चतम न्यायालय, 13. उच्च न्यायालय, 14. महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, 15. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 16. राज्य की कार्यपालिका, 17. राज्य विधायिका, 18. भारत के राष्ट्रीय चिह्न, 19. पंचायती राज, 20. नगरपालिकाएं, 21. संचित निधि, 22. आकस्मिक निधि, 23. केंद्र-राज्य संबंध, 24. अंतरराज्यीय संबंध, 25. नीति आयोग, 26. राष्ट्रीय विकास परिषद, 27. वित्त आयोग, 28. लोक सेवा आयोग, 29. निर्वाचन आयोग, 30. अस्थायी विशेष उपबंध, 31. प्रमुख संशोधन

भारत का इतिहास **33-103**

A. प्राचीन भारत का इतिहास : 1. प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, 2. इतिहास का विभाजन, 3. ताम्र पाषाण काल, 4. वैदिक सभ्यता, 5. छठीं शताब्दी ई.पू. में धार्मिक आंदोलन, 6. मगध राज्य का उत्कर्ष, 7. भारत में विदेशी आक्रमण, 8. गुप्त साम्राज्य, 9. वाकाटक राजवंश, 10. वर्धन वंश, 11. दक्षिण भारत का इतिहास, 12. पूर्व-मध्यकाल, 13. सीमावर्ती राज्य

B. मध्यकालीन भारत का इतिहास : 1. अरबों का आक्रमण, 2. सल्तनत काल, 3. खिलजी वंश, 4. तुगलक वंश, 5. सैय्यद वंश, 6. लोदी वंश, 7. दिल्ली सल्तनत-शासन व्यवस्था, 8. विजयनगर साम्राज्य, 9. बहमनी राज्य, 10. स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, 11. भक्ति आंदोलन, 12. मुगल साम्राज्य, 13. मुगल शासन व्यवस्था, 14. मराठों का उत्कर्ष

C. आधुनिक भारत का इतिहास : 1. मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, 2. यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 3. बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, 4. पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा संघर्ष, 5. सिख एवं अंग्रेज संबंध, 6. 1857 की क्रांति, 7. धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, 8. भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, 9. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, 10. ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, 11. भारतीय समाचार-पत्रों का इतिहास, 12. ब्रिटिश कालीन आयोग/समितियां, 13. कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य, 14. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य, 15. भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, 16. भारत के गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य, 17. 1947 से 1964 तक का इतिहास, 18. अन्य प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य

विश्व का इतिहास **103-108**

1. पुनर्जागरण, 2. अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता संग्राम, 3. फ्रांस की क्रांति, 4. इटली का एकीकरण, 5. जर्मनी का एकीकरण, 6. रूसी क्रांति, 7. औद्योगिक क्रांति, 8. प्रथम विश्व युद्ध, 9. जर्मनी में राष्ट्रवाद, नाजीवाद, 10. इटली में फासिज्म का उदय, 11. जापानी साम्राज्यवाद, 12. द्वितीय विश्वयुद्ध, 13. टर्की, 14. विविध तथ्य

भूगोल **109-176**

A. विश्व का भूगोल : 1. ब्रह्मांड, 2. सौरमंडल, 3. पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 4. स्थलमंडल, 5. महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप, 6. वायुमंडल, 7. जलमंडल

B. भारत का भूगोल : 1. सामान्य परिचय, 2. भारत एवं पड़ोसी देश, 3. भारत का भौतिक स्वरूप, 4. अपवाह तंत्र, 5. भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात, 6. भारत की जलवायु, 7. भारत की मिट्टी, 8. भारत की कृषि, 9. सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 10. भारतीय खनिज संसाधन, 11. भारत के परिवहन, 12. भारत के उद्योग, 13. भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, 14. भारत की जनजातियां, 15. भारत और अंटार्कटिका, 16. भारत की जनगणना

सामान्य विज्ञान **177-286**

A. भौतिक विज्ञान : 1. मात्रक, 2. भौतिक राशियों की विमाएं, 3. गति एवं बल, 4. कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, 5. गुरुत्वाकर्षण, 6. सरल आवर्त गति, 7. प्लवन, 8. पृष्ठ तनाव, 9. श्यानता, 10. दाब, 11. प्रत्यास्थता, 12. तरंग गति, 13. ध्वनि, 14. ऊष्मा, 15. प्रकाश, 16. स्थिर विद्युत, 17. विद्युत धारा, 18. चुंबकत्व, 19. नाभिकीय भौतिकी

B. रसायन विज्ञान : 1. पदार्थ की कणिक प्रकृति, 2. परमाणु संरचना, 3. तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, 4. रासायनिक बंध, 5. ऑक्सीकरण-अपचयन अथवा अपचयोपचय अभिक्रियाएं, 6. अम्ल तथा क्षार, 7. गैसीय अवस्था अथवा गैसों का आचरण, 8. हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक, 9. जल की कठोरता, 10. S-ब्लॉक के तत्व, 11. बोरॉन एवं कार्बन, 12. वर्ग-15, 16, 17 एवं 18 के तत्व, 13. कुछ प्रमुख अधातुएं एवं इनके प्रयोग, 14. कुछ प्रमुख धातुएं तथा इनके प्रयोग, 15. तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, 16. बहुलक, 17. रसायन विज्ञान : विशेष तथ्य, 18. सामान्य रसायन, 19. हाइड्रोकार्बन, 20. कृत्रिम पदार्थ, 21. ईंधन

C. जीव विज्ञान : 1. जीवधारियों का वर्गीकरण, 2. कोशिका विज्ञान, 3. जैव विकास, 4. आनुवांशिकी; **C1 वनस्पति विज्ञान :** 5. पादप, 6. पारिस्थितिक तंत्र, 7. प्रदूषण; **C2 प्राणि विज्ञान :** 8. जंतु जगत का वर्गीकरण, 9. मानव शरीर, 10. पोषक तत्व, 11. मानव रोग एवं उपचार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **287-294**

1. भारतीय परमाणु अनुसंधान, 2. भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, 3. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

कंप्यूटर **295-299**

अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था **300-345**

1. अर्थशास्त्र, 2. अर्थव्यवस्था

खेल खिलाड़ी **346-372**

1. ओलंपिक खेल,2. राष्ट्रमंडल खेल, 3. एशियाई खेल, 4. क्रिकेट, 5. हॉकी, 6. फुटबॉल, 7. बैडमिंटन, 8. टेनिस, 9. शतरंज, 10. एथलेटिक्स, 11. टेबल टेनिस, 12. बास्केटबॉल, 13. पोलो, 14. गोल्फ, 15. बेसबॉल, 16. बिलियड्र्स, 17. स्नूकर, 18. कुश्ती, 19. वॉटर पोलो, 20. तैराकी, 21. मुक्केबाजी, 22. निशानेबाजी, 23. वालीबॉल, 24. कबड्डी, 25. खो-खो, 26. हैंडबॉल, 27. खेलों से संबंधित पुरस्कार

विविध **373-408**

1. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, 2. भारत के पर्यटन स्थल, 3. भारतीय सुरक्षा व्यवस्था, 4. भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, 5. अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, 6. राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, 7. अंतरराष्ट्रीय संगठन, 8. विश्व के प्रमुख संगठन

GKA क्यों?

General Knowledge Awareness

सामान्यतः GK की पुस्तक प्रकाशित करते समय विभिन्न प्रकाशक प्रकाशित तथ्यों के प्रति जागरूक (Aware) नहीं रहते हैं और गलत तथ्यों को प्रकाशित कर बैठते हैं, देखें कुछ उदाहरण–

तथ्य	त्रुटिपूर्ण तथ्य	सही तथ्य
भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील	चोलामू झील	गुरु डोंगमर
वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग	NH-44	NH-27EW
वर्तमान में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग	NH-47A	NH-327B (पोरबंदर से सिलचर)
सिक्किम राज्य का गठन	26 अप्रैल, 1975	16 मई, 1975
फारवर्ड ब्लाक का गठन	1 मई, 1939	3 मई, 1939
विश्व भारती की स्थापना	1912 ई.	1921 ई.
वेलूर मठ की स्थापना	1887 ई.	1897 ई.
टॉलमी द्वारा दूसरी शताब्दी में लिखी गयी पुस्तक	भारत का भूगोल	ज्योग्राफी
पुष्यमित्र ने भरहुत स्तूप का	निर्माण करवाया था	पुनरुद्धार करवाया था
लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था	मुहम्मदशाह द्वारा	महमूद शाह की पत्नी वी.वी. राजे द्वारा
कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था	1609 ई.	1608 ई.
भील विद्रोह के नेता	सेवा राम 1825-31 ई.	त्र्यम्बक जी 1818-31ई.
कोल आंदोलन के नेता	गोमधर कुंवर	बुद्धू भगत
शारदा एक्ट लागू किया गया	1930 ई.	1929 ई.
वेद समाज के संस्थापक	केशवचंद्र सेन	के. श्री धरलू नायडू केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से
वीमेन्स इंडिया एसोसि-एशन की संस्थापक	लेडी सदाशिव अय्यर	एनी बेसेंट
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत	लॉर्ड आकलैंड	अलेक्जेंडर डफ
चौरी-चौरा कांड	5 फरवरी, 1922	4 फरवरी, 1922

तथ्य	त्रुटिपूर्ण तथ्य	सही तथ्य
छः प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता निहित है।	अनुच्छेद 19 (क से च) अनुच्छेद 19 (क)	अनुच्छेद 19 (1) क से छ (भारत का संविधान) अनुच्छेद 19 (1) क
एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश	मलेशिया	चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल	470131 वर्ग किमी.	9833517 वर्ग किमी.
चीन का क्षेत्रफल	137060 वर्ग किमी.	9596960 वर्ग किमी.
मिसीसिपी नदी का उद्‌गम स्थल	रेड रॉक स्रोत	इटास्का झील
ओटावा (कनाडा) शहर नदी के किनारे स्थित है	सेंट लारेंस नदी	ओटावा नदी
पेरियार नदी का उद्‌गम स्थल है	पेरियार झील	शिवगिरि चोटी के वन क्षेत्र से
लखीपुर-भंगा राष्ट्रीय जलमार्ग का क्रमांक है	N.W.-6	N.W.-16
धार का किला	मोहम्मद तुगलक द्वारा निर्माण	राजा भोज प्रथम द्वारा निर्माण
गोलकुंडा का किला	कुतुबशाही	वारंगल के राजा द्वारा 1143 ई. में मिट्टी का किला, कुली कुतुबशाह ने इसे पत्थर का बनवाया
एलोरा की गुफाएं	बौद्धों द्वारा निर्माण	राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्माण
गेटवे ऑफ इंडिया	जॉर्ज विट्ठल क्लार्क	जॉर्ज विटेट (वास्तुकार)
जंतर-मंतर व नाहरगढ़	सवाई जय सिंह द्वारा निर्माण	सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्माण
भारत में सबसे ऊंची मीनार	कुतुबमीनार (दिल्ली)	फतेहबुर्ज (पंजाब)
भारत में सबसे बड़ी मस्जिद	जामा मस्जिद (दिल्ली)	ताज-उल-मस्जिद (भोपाल)
विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश	सिंगापुर	मोनाको

ये कुछ तथ्य हैं, ऐसे बहुत से तथ्य हैं, जो लगातार प्रकाशित हो रहे हैं और परीक्षार्थी उन्हीं तथ्यों को अपनी स्मृति में भंडारण कर रहे हैं। GK की प्रस्तुत पुस्तक में हमने सभी तथ्यों के प्रति जागरूक रहते हुए अद्यतन और सही तथ्यों का प्रकाशन किया है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम GK नहीं बल्कि GKA रखा है। आगे भी हम इस पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों की अद्यतन स्थिति से आपको अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट ssgcp.com या facebook page. fb.me/gkaupdate पर लॉगइन कर सकते हैं। पुस्तक में प्रकाशित किसी तथ्य के प्रति शंका/संदेह हो, तो आप आवरण पृष्ठ 3 पर प्रकाशित संपर्क माध्यमों द्वारा हमसे निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं।

नोट : पाठकों/प्रकाशकों से अनुरोध है कि अपनी पूर्व मे खरीदी गयी / प्रकाशित की गयी पुस्तक में इन तथ्यों को ठीक कर लें। इतना ही नहीं नित परिवर्तित होते जा रहे तथ्यों के प्रति भी निरंतर जागरूक रहना होगा।

भारतीय राजव्यवस्था
(Indian Polity)

1 भारत का संवैधानिक विकास

संविधान, नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है।

कंपनी के शासनाधीन पारित
- रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
- पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
- चार्टर एक्ट, 1793
- चार्टर एक्ट, 1813
- चार्टर एक्ट, 1833
- चार्टर एक्ट, 1853

क्राउन के शासनाधीन पारित
- 1858 का भारत शासन अधिनियम
- 1861 का भारत परिषद अधिनियम
- 1892 का भारत परिषद अधिनियम
- 1909 का भारत परिषद अधिनियम
- 1919 का भारत शासन अधिनियम
- 1935 का भारत शासन अधिनियम
- 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया।
- इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
- इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
- इस अधिनियम के तहत 1774 ई. में बंगाल (कलकत्ता) में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे।

नोट - इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जबकि तीन अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेंस्टर तथा हाइड थे।

- इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया।

1781 का एक्ट ऑफ सेटेलमेंट

- रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा (ओडिशा) के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ।
- इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक - दूसरे से अलग कर दिया गया।
- भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।
- भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ई. तक विद्यमान रही।

- कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देख-रेख के लिए निदेशक मंडल (Board of Directors) को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक 'नियंत्रण बोर्ड' (Board of Control) का गठन किया गया।

भारत के प्रथम/अंतिम, गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय

- **रॉबर्ट क्लाइव** → बंगाल के गवर्नर (1758-60 तथा 1765-67)
- **वॉरेन हेस्टिंग्स** (1772-1774) बंगाल के अंतिम गवर्नर → (1774-1785) बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल
- **लॉर्ड विलियम बैंटिक** (1828-1833) बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल → (1833-1835) भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
- **लॉर्ड कैनिंग** (1856-1858) कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल → (1858-1862) भारत के प्रथम वायसराय
- **लॉर्ड माउंटबेटन** (मार्च, 1947-अगस्त, 1947) भारत के अंतिम वायसराय → (अगस्त,1947-जून, 1948) स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
- **सी. राजगोपालाचारी** → (जून,1948-जनवरी,1950) स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल

1813 का राजलेख

- इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा।
- इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई।

1833 का चार्टर एक्ट

- इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में (सर्वप्रथम मैकाले) शामिल किया गया।
- इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ई. में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया।
- इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया।
- राजलेख की धारा 87 के अनुसार, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था।
- गवर्नर जनरल को एक 'विधि आयोग' नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया।

1853 का राजलेख

- इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया।
- इस व्यवस्था के तहत भारत वर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई।

1858 का भारत शासन अधिनियम

- 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया।
- इस अधिनियम को 'एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया।
- 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई।
- भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन (ताज) का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था।

1861 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

नोट - 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) को विधान परिषद में मनोनीत किया गया।

- वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी।
- इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया।
- वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई।

नोट - 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया।

1892 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई।
- विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला।

1909 का भारत परिषद अधिनियम

- इसे मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य-सचिव थे।
- पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया।

नोट - सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

- इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई।
- इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।

1919 का भारत शासन अधिनियम

- इसे मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉण्टेग्यू भारत के राज्य-सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
- प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनल कर्टिस थे।
- प्रांतीय विषयों को दो भागों यथा- हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर, उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था।
- इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वि-सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया।
- सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल - भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया।

➢ इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था।

नोट - वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

➢ एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

1935 का भारत शासन अधिनियम

➢ यह एक विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था।

➢ इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई।

➢ प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई।

➢ कुछ प्रांतों में द्वि-सदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों - बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई।

➢ इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।

➢ इसने भारत शासन अधिनियम, 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया।

➢ इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा (ओडिशा) का निर्माण हुआ।

➢ देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

➢ लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया।

➢ एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ - साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था।

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

➢ इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों (Dominion States) भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की।

➢ इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी।

➢ दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी।

➢ इसने 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की।

➢ भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।

➢ प्रत्येक अधिराज्य के अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई।

संविधान का निर्माण

➢ वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत 'भारतीय संविधान सभा' के गठन का प्रस्ताव किया गया था।

➢ कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई थी।

➢ इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं।

➢ ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था।

➢ सामान्यतया प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी।

➢ प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन समुदायों - मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर किया गया था।

➢ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी।

➢ इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की।

➢ अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे।

➢ देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया।

➢ सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

➢ 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

➢ संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।

नोट - संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी. दुर्गाबाई, दक्ष्यानि वेल्यादुन और ऐनी मैस्करीन थीं।

➢ 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

➢ संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था।

संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष	
समितियां	**अध्यक्ष**
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रारूप समिति	भीमराव अंबेडकर
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
(ii) अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
प्रक्रिया नियम समिति	राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	राजेंद्र प्रसाद
तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति	राजेंद्र प्रसाद

➢ 29 अगस्त, 1947 को एक संकल्प पारित करके 'प्रारूप समिति' का गठन किया गया।

➢ इस समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को चुना गया।

➢ प्रारूप समिति का कार्य, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार - विमर्श करना था।

➢ प्रारूप समिति ने 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रारूप समिति - कुल सदस्य - 7	
अध्यक्ष - 1.	डॉ. भीमराव अंबेडकर
सदस्य - 2.	एन. गोपालास्वामी आयंगर
3.	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
4.	डॉ. के.एम. मुंशी
5.	सैय्यद मो. सादुल्ला
6.	एन. माधव राव (इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग-पत्र दे दिया था)
7.	टी.टी. कृष्णामाचारी (1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)

नोट - संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर, 1949 से 26 नवंबर, 1949 तक चला।

➢ 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया।

➢ संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर, 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

➢ 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे।

➢ वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 452 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

➢ 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

➢ संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया।

➢ संविधान सभा द्वारा मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया।

संविधान सभा के महत्त्वपूर्ण तथ्य	
पहली बैठक	9 दिसंबर, 1946
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
स्थायी अध्यक्ष	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	एच.सी. मुखर्जी
संवैधानिक सलाहकार	सर बी.एन. राव
संविधान निर्माण में लगा समय	2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन
प्रारूप पर बहस	114 दिन
कुल व्यय	63,96,729 रुपये
कुल वाचन	तीन
संविधान अपनाया गया	26 नवंबर, 1949
संविधान लागू हुआ	26 जनवरी, 1950

➢ कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

➢ 2 सितंबर, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर, 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई।

अंतरिम सरकार	
मंत्री	**मंत्रालय**
1. जवाहरलाल नेहरू	विदेश व राष्ट्रमंडल सम्बन्धी मामले
2. सरदार वल्लभभाई पटेल	सूचना एवं प्रसारण तथा गृह
3. सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
4. लियाकत अली	वित्त
5. जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि
6. आसफ अली	रेल
7. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
8. डॉ. सी.एच. भाभा	कार्य, खनन एवं शक्ति
9. बलदेव सिंह	रक्षा
10. आई.आई. चुंदरीगर	वाणिज्य
11. अब्दुर - रब - नश्तर	संचार, डाक एवं वायु
12. गजनफर अली खां	स्वास्थ्य
13. जगजीवन राम	श्रम

नोट - लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई.आई. चुंदरीगर, अब्दुर-रब-नश्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे।

नोट - रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय - पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया।

- अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी, 1950 से प्रथम आम चुनाव (1951 - 52 ई.) के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया।

2 संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है -

- **ब्रिटेन :** संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि।
- **सं.रा. अमेरिका :** मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि।
- **कनाडा :** केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि।

- **आयरलैंड :** नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में मनोनीत सदस्य आदि।
- **जर्मनी :** आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि।
- **सोवियत संघ :** मूल कर्तव्य आदि।
- **दक्षिण अफ्रीका :** संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन आदि।
- **जापान :** विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

भारतीय संविधान

भाग	विषय	अनुच्छेद
♦ भाग 1 :	संघ और उसके क्षेत्र	1 - 4
♦ भाग 2 :	नागरिकता	5 - 11
♦ भाग 3 :	मूलभूत अधिकार	12 - 35
♦ भाग 4 :	राज्य के नीति निदेशक तत्व	36 - 51
♦ भाग 4 क :	मूल कर्तव्य	51क
♦ भाग 5 :	संघ	52 - 151
	अध्याय I - कार्यपालिका	
	अध्याय II - संसद	
	अध्याय III - राष्ट्रपति के विधायी अधिकार	
	अध्याय IV - संघीय न्यायपालिका	
	अध्याय V - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	
♦ भाग 6 :	राज्य	152 - 237
	अध्याय I - सामान्य	
	अध्याय II - कार्यपालिका	
	अध्याय III - राज्य विधानमंडल	
	अध्याय IV - राज्यपाल के विधायी अधिकार	
	अध्याय V - राज्यों के उच्च न्यायालय	
	अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	
♦ भाग 7 :	प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य (निरसित)	238
♦ भाग 8 :	संघ राज्य क्षेत्र	239 - 242
♦ भाग 9 :	पंचायतें	243 - 243ण
♦ भाग 9क :	नगरपालिकाएं	243त - 243 य छ
♦ भाग 9ख :	सहकारी समितियां	243(ZH) - 243(ZT)
♦ भाग 10 :	अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र	244 - 244क
♦ भाग 11 :	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
	अध्याय I - विधायी संबंध	
	अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	
♦ भाग 12 :	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद	264 - 300क
	अध्याय I - वित्त	
	अध्याय II - उधार	
	अध्याय III - संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद	
	अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	
♦ भाग 13 :	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 - 307
♦ भाग 14 :	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 - 323
	अध्याय I - सेवाएं	
	अध्याय II - लोक सेवा आयोग	
♦ भाग 14 क :	अधिकरण	323क - 323 ख
♦ भाग 15 :	निर्वाचन	324 - 329 क
♦ भाग 16 :	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	330 - 342
♦ भाग 17 :	राजभाषा	343 - 351
	अध्याय I - संघ की भाषा	
	अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएं	
	अध्याय III - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	
	अध्याय IV - विशेष निर्देश	
♦ भाग 18 :	आपात उपबंध	352 - 360
♦ भाग 19 :	प्रकीर्ण	361 - 367
♦ भाग 20 :	संविधान का संशोधन	368
♦ भाग 21 :	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
♦ भाग 22 :	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 - 395

3 संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। यह संविधान का आमुख होता है। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय-पत्र' कहा है। 13 दिसंबर, 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया।

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है।
- बेरूबारी वाद (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था।

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है।
- संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है, जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है।
- अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार (42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा) संशोधित किया गया है।

4 अनुसूची

- मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी।
- वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है।

अनुसूचियां एवं उनके विषय

अनुसूची		विषय
पहली अनुसूची	-	राज्य व संघ राज्य क्षेत्र।
दूसरी अनुसूची	-	राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन।
तीसरी अनुसूची	-	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप।
चौथी अनुसूची	-	राज्य सभा में स्थानों का आवंटन।
पांचवीं अनुसूची	-	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध।
छठी अनुसूची	-	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध।
सातवीं अनुसूची	-	संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन।
आठवीं अनुसूची	-	भाषाएं।
नौवीं अनुसूची	-	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण।
दसवीं अनुसूची	-	दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता।
ग्यारहवीं अनुसूची	-	पंचायतों से संबंधित प्रावधान।
बारहवीं अनुसूची	-	नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध।

नोट - नौवीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा, दसवीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा, ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा तथा बारहवीं अनुसूची को 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

नोट - मूल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है।

5 भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र

भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्यक्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ (Union of States) घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं।

नोट - दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्रशासित प्रदेशों यथा- 1. दादरा और नागर हवेली तथा 2. दमन और दीव का आपस में विलय हो जाने के उपरांत देश में अब कुल केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम (दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम, 2019) 26 जनवरी, 2020 से लागू हो चुका है।

- अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम (India, that is Bharat) तथा राज्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है।
- अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है।
- अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है।

नोट - अनुच्छेद 2 तथा 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है।

- भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे।
- इस आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगू भाषियों के नेतृत्वकर्ता पोट्टी श्रीरामुलू (Potti Sreeramulu) ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसमें 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।
- श्रीरामुलू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर, 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया।
- आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है।
- भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे।

- नवंबर, 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरीकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया।
- भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर, 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में मिला लिया गया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।
- भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है।

क्षेत्रीय परिषद	मुख्यालय
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	कोलकाता
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	मुंबई
मध्य क्षेत्रीय परिषद	प्रयागराज (इलाहाबाद)
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	नई दिल्ली
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	चेन्नई

नोट - पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नगालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है।

राज्य	गठन वर्ष
आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953
गुजरात, महाराष्ट्र	1 मई, 1960
नगालैंड	1 दिसंबर, 1963
हरियाणा	1 नवंबर, 1966
हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा	21 जनवरी, 1972
सिक्किम	16 मई, 1975
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987
गोवा	30 मई, 1987
छत्तीसगढ़	1 नवंबर, 2000
उत्तराखंड	9 नवंबर, 2000
झारखंड	15 नवंबर, 2000
तेलंगाना	2 जून, 2014

6 नागरिकता

- अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है।
- भारतीय संविधान नागरिकों को एकल (इकहरी) नागरिकता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है - जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से (देशीकरण द्वारा) तथा क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा।

7 मौलिक अधिकार

संविधान के भाग - 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें 'भारत का अधिकार-पत्र' (Magnacarta) भी कहा जाता है।

- वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है–
  i. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)
  ii. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22)
  iii. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)
  iv. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)
  v. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 - 30)
  vi. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

i. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

- **अनुच्छेद 14 :** विधि के समक्ष समानता - राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

नोट - 'विधि के समक्ष समता' का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

- **अनुच्छेद 15 :** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध - राज्य, किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 16 :** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता - राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।

अपवाद - पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है।

➢ **अनुच्छेद 17 :** अस्पृश्यता का अंत - अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

➢ **अनुच्छेद 18 :** उपाधियों का अंत - सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति से ही स्वीकार करेगा।

ii. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

➢ **अनुच्छेद 19 :** वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण - वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत छः प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं -

- अनुच्छेद 19(1) (क) : वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19(1) (ख) : शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19(1) (ग) : संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19(1) (घ) : भारत के राज्य-क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19(1) (ङ) : भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19 (1) (छ) : जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता।

✍ **नोट** - (1) मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार [अनुच्छेद 19(1) (च) एवं अनुच्छेद 31] को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300(क) के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया।

(2) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19 (1) (क)] में ही 'प्रेस की स्वतंत्रता' को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा 'सूचना के अधिकार' को भी निहित माना गया है।

➢ **अनुच्छेद 20 :** अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण - इसके अंतर्गत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है - (1) किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि (उस समय लागू) का अतिक्रमण करेगा, (2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, (3) किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

➢ **अनुच्छेद 21 :** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण - किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

✍ **नोट** - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है–

(i) गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
(ii) स्वच्छ पर्यावरण
(iii) जीवन रक्षा का अधिकार
(iv) निजता का अधिकार
(v) स्वास्थ्य का अधिकार
(vi) निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
(vii) त्वरित सुनवाई का अधिकार
(viii) सूचना का अधिकार
(ix) सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि।

➢ **अनुच्छेद 21 (क) :** शिक्षा का अधिकार- राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

✍ **नोट** - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(क) के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है।

➢ **अनुच्छेद 22 :** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण - किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं (1) उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाएगा, (2) उसे 24 घंटे के अंदर (यात्रा के समय को छोड़कर) निकटतम दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष पेश किया जाएगा।

➢ **निवारक निरोध** - अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इस स्थिति में -

- गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है, तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा।
- गिरफ्तार (निरुद्ध) व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है।

iii. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)

➢ अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।

➢ अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है।

iv. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

➢ अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

➢ अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

➢ अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है।

➢ अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

✍ **नोट-** कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा।

v. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)

➢ अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं।

➢ अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है।

vi. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

➢ मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट (निदेश या आदेश) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है–(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), (B) परमादेश (Mandamus), (C) प्रतिषेध (Prohibition), (D) उत्प्रेषण (Certiorari), (E) अधिकार-पृच्छा (Quo - Warranto)।

(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके।

(B) परमादेश (Mandamus) - जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है।

(C) प्रतिषेध (Prohibition) - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करके आदेश जारी किया जाता है।

(D) उत्प्रेषण (Certiorari) - सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहां लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें।

(E) अधिकार - पृच्छा (Quo - Warranto) - जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है, जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार पृच्छा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है।

➢ अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है।

➢ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) निलंबित हो जाते हैं।

➢ केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है।

➢ मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

8 राज्य के नीति-निदेशक तत्व

नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग - 4 में (अनुच्छेद 36 से 51 तक) किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

➢ अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

➢ अनुच्छेद 39(क) के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है।

➢ अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है।

➢ अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है।

➢ अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 43(क) के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है।

➢ अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है।

➢ अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है।

➢ अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है।

➢ अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

➢ अनुच्छेद 48 (क) के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

9 मौलिक कर्तव्य

- मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग - 4क के अनुच्छेद 51क में किया गया है।
- 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था।
- इनको 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया।
- ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं।

मौलिक कर्तव्यों की सूची	
51 क. मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–	
(क)	संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
(ख)	स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
(ग)	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
(घ)	देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
(ङ)	भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
(च)	हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
(छ)	प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
(ज)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
(झ)	सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
(ञ)	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
(ट)	यदि माता - पिता या संरक्षक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

नोट - मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

10 संघीय कार्यपालिका

राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है।

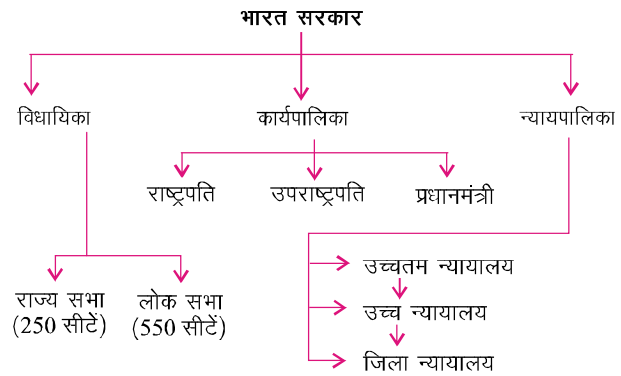

A. राष्ट्रपति

- भारत का एक राष्ट्रपति होगा (अनुच्छेद 52)।
- राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।
- अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है।

योग्यताएं

- अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है–
  1. वह भारत का नागरिक हो;
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;
  3. लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो;
  4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो।
- **नोट** - राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है।

निर्वाचन

- अनुच्छेद 54 के अनुसार, एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
- निर्वाचक मंडल में लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

- 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे।
- अनुच्छेद 55 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम-से-कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।

पदावधि

- अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है।
- अनुच्छेद 57 के अनुसार, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

शपथ

- अनुच्छेद 60 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।

वेतन

- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है। उसका वेतन आयकर से मुक्त होता है।

महाभियोग

- अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है।
- अनुच्छेद 61 (1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है।

- संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए।
- महाभियोग संसद की एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।
- राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है।

विशेष : यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा।

क्रम. राष्ट्रपति	कार्यकाल
1. राजेंद्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962
2. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962 से 13 मई, 1967
3. जाकिर हुसैन	13 मई, 1967 से 3 मई, 1969
4. वी.वी. गिरि	24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974
5. फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977
6. नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982
7. ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987
8. आर. वेंकटरमन	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992
9. शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997
10. के.आर. नारायणन	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002
11. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007
12. प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012
13. प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017
13. राम नाथ कोविंद	25 जुलाई, 2017 से अब तक

नोट - अभी तक वी.वी. गिरि 3 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969 तक, न्यायाधीश मुहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक और बी.डी. जत्ती 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं।

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे।
- डॉ. एस. राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति रहे।
- वी.वी. गिरि के निर्वाचन के समय दो बार मतगणना हुई थी।
- नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए।
- भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल हैं।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां

कार्यकारी शक्तियां : राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां हैं-

- शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं।
- वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।
- राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
- राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के

सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं।

विधायी शक्तियां : राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं–

- संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोक सभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार (अनुच्छेद 108)।
- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है।
- **नोट—** संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो तीन स्थितियों की संभावना बनती है -
  (i) वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है,
  (ii) वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का 'पॉकेट वीटो' कहा जाता है।
  (iii) वह विधेयक को (धन विधेयक न होने पर) पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है।
- यदि संसद, विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।
- वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो (जेबी वीटो) का प्रयोग किया गया था।
- नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयकआदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनीत करता है (अनुच्छेद 80)।

अध्यादेश की शक्ति

- अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है, जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है।
- इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है।
- इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है।
- यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है।

- **क्षमादान की शक्ति** –अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है।
- **सैन्य अधिकार** –राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना, नौसेना) का सर्वोच्च कमांडर होता है।
- वह थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
- **कूटनीतिक शक्ति** - अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन करता है।

आपातकालीन शक्तियां

- भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं।
- राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार हैं–
  (1) युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में (अनुच्छेद 352)
  (2) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में (अनुच्छेद 356)
  (3) वित्तीय आपात की स्थिति में (अनुच्छेद 360)

परामर्श की शक्ति

- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।

उपराष्ट्रपति

- उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- अनुच्छेद 63 के अनुसार, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

निर्वाचन

- अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।

योग्यताएं

- उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम-से-कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक हैं।
- **नोट** - इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

पदावधि

- अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतया 5 वर्ष होती है।
- इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।
- उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोक सभा की सहमति आवश्यक है।

नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक

पुस्तकें	लेखक
द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग	मैरिके लुकास रिजने वेल्ड
वन अरेंज्ड मर्डर	चेतन भगत
अमेजिंग अयोध्या	नीना राय
हिट रिफ्रेश	सत्या नडेला
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ	सौरव गांगुली
अनस्टॉपेबल : माई लाइफ सो फॉर	मारिया शारापोवा
एक्जाम वारियर्स	नरेंद्र मोदी
द इंग्लिश पेशेंट	माइकल ओन्डात्जे
लीला	प्रयाग अकबर
स्काईफायर	अरुण रमन
स्वप्नपाश	मनीषा कुलश्रेष्ठ
इंडिया पॉजिटिव, हॉफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, फाइव प्वांइट समवन	चेतन भगत
मेलूहा के मृत्युंजय, सीता मिथिला की योद्धा, नागाओं का रहस्य	अमीश त्रिपाठी
द एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर	संजय बारू
वी. आर. डिसप्लेस्ड	मलाला यूसुफजई
द स्टोलेन लाइट	वेद मेहता
ए रिवर सूत्रा	गीता मेहता
माई फ्रोजेन टर्बुलेंस इन कश्मीर	जगमोहन
डिजेनेरेशन ऑफ इंडिया	टी.एन. शेषन
संसद उपनिषद	एम.एफ. हुसैन
राजीव	सोनिया गांधी
संस्कार	यू.आर. अनंतमूर्ति
द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया	मेघनाद देसाई
ए ब्रश विद लाइफ	सतीश गुजराल
माई कंट्री माई लाइफ	लाल कृष्ण आडवाणी
हॉफ ए लाइफ	वी.एस. नायपाल
स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट	कपिल देव
ए न्यू वर्ल्ड	अमित चौधरी
सोमनाथ : द मेनी वाइसेस ऑफ ए हिस्ट्री	रोमिला थॉपर
द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज	झुम्पा लाहिड़ी
बरियल एट सी	खुशवंत सिंह
फास्टिंग फीस्टिंग	अनीता देसाई

पुस्तकें	लेखक
लेट्स किल गांधी	तुषार ए. गांधी
इग्नाइटेड माइंड्स	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
हेड्स एंड टेल्स	मेनका गांधी
टूवार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड	एम.एस. स्वामीनाथन
शेषन : ऐन इन्टीमेंट स्टोरी	के. गोविंदन कुट्टी
संसद में तीन दशक	अटल बिहारी वाजपेयी
ब्लाइंड मेन ऑफ हिंदुस्तान	जनरल के. सुंदरजी
द गॉड ऑफ स्माल थिंग्स	अरुंधति रॉय
कारगिल : फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री	जनरल वी.पी. मलिक
मदर टेरेसा	नवीन चावला
नेताजी एंड गांधी	शशि अहलूवालिया
इंडिया टुवर्ड्स एनार्की	एन.एस. सक्सेना
द गोल्डेन गेट, ए सुटेबल बॉय	विक्रम सेठ
द इनसाइडर	पी.वी. नरसिम्हा राव
इंडियन कंट्रोवर्सीज : एसेज ऑन रिलीजियन इन पॉलिटिक्स	अरुण शौरी
द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम	स्टीफन हाकिंग
मिशन टू इंडिया	स्टेनले कल्पागे
डॉक्टर ऑफ द ईस्ट	बेनजीर भुट्टो
फर्स्ट पर्सन	ब्लादिमीर पुतिन
पीस हैज नो अल्टरनेटिव	मिखाइल गोर्बाचेव
लिविंग हिस्ट्री	हिलेरी क्लिंटन
एनदर लाइफ	डेरेक वाल्कॉट
लज्जा	तस्लीमा नसरीन
मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन	डेरेक ओ ब्रायन, सुनील के दत्त
लांग वाक टू फ्रीडम	नेल्सन मंडेला
सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन	सलमान रुश्दी
द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी	पी.सी. अलेक्जेंडर
फ्रीडम फ्रॉम फीयर	आंग सान सू की
द लांगेस्ट रेस	टॉम आल्टर
सिटी ऑफ जॉय	डोमिनिक लैपियर
हाऊ आई प्ले गोल्फ	टाइगर वुड्स
द पाथ टू पॉवर	मारग्रेट थैचर
कैन पाकिस्तान सरवाइव	तारिक अली
द इनविजिबल मैन	एच.जी. वेल्स

प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें

लेखक	पुस्तकें
1. प्लिनी	नैचुरल हिस्ट्री
2. एच. डब्ल्यू. लांगफेलो	सांग ऑफ हियावाथा, पोएम्स ऑन स्लेवेरी
3. दांते	डिवाइन कॉमेडी
4. होमर	इलियड, ओडिसी
5. अल्बर्ट आइंस्टीन	द वर्ल्ड ऐज आई सी इट, रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी
6. सैमूर हर्ष	द प्राइस ऑफ पॉवर
7. विंस्टन चर्चिल	द सेकंड वर्ल्ड वार, (गैदरिंग स्टॉर्म्स-Vol.I), ए डिस्ट्री ऑफ द इंग्लिस-स्पीकिंग पीपुल्स
8. न्यूटन	प्रिंसीपिया
9. प्लेटो	रिपब्लिक
10. मैक्सिम गोर्की	द मदर, द लाइफ ऑफ ए यूजलेस मैन
11. एडोल्फ हिटलर	मीन काम्फ
12. अरस्तू	पॉलिटिक्स, पोएटिक्स
13. रूसो	द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
14. चार्ल्स डार्विन	द डिसेंट ऑफ मैन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज
15. एडवर्ड थॉमसन	ए फेयरवेल टू इंडिया
16. एडम स्मिथ	द थियरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स, ऐन इन्क्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉज़ेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस
17. आर्थर हेले	एयरपोर्ट होटेल, व्हील्स
18. हेनरी मिलर	ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ब्लैक स्प्रिंग
19. जॉन मिल्टन	पैराडाइज लॉस्ट, एल एलिग्रो
20. गुन्नार मिर्डल	एशियन ड्रामा, एन अमेरिकन डिलेमा, अगेन्स्ट द स्ट्रीम
21. जॉर्ज आरवेल	एनिमल फार्म, नाइंटीन एट्टीफोर
22. जेड.ए. भुट्टो	ग्रेट ट्रेजडी द मिथ ऑफ इंडेपेंडेंस
23. माओ-त्से-तुंग	ऑन कंट्राडिक्शन
24. ए.एल. बाशम	द वंडर दैट वाज इंडिया
25. ई. एम. फोस्टर	ए पैसेज टू इंडिया
26. कैथरीन मेयो	मदर इंडिया
27. डायना मोस्ले	ए लाइफ ऑफ कंट्रास्ट्स
28. हेरोल्ड मैकमिलन	राइडिंग द स्टार्म, द मिडिल वे
29. लियो टॉल्सटाय	वार एंड पीस
30. जे.के. गालब्रेथ	द नेचर ऑफ मास पावर्टी,
31. चार्ल्स डिकेंस	ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज
32. शेक्सपीयर	हैमलेट, ओथेलो, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऐज यू लाइक इट
33. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ	सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन
34. हेराल्ड जे. लॉस्की	ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स

7 अंतरराष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ :

- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 51 देशों को मिलाकर 24 अक्टूबर, 1945 को हुई थी।
- इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व भर में 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' मनाया जाता है।
- अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र' (यूनाइटेड नेशन) नाम दिया गया।
- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है।
- दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है।

- संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय वर्ष 1952 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर, 1952 में आयोजित की गई।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषाएं फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, रसियन और स्पेनिश हैं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्के नीले रंग का है, जिस पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक अंकित है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में ऊपर की तरफ खुली हुई दो वक्राकार जैतून की शाखाएं और उनके बीच विश्व मानचित्र अंकित है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन महासभा करती है, जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (चार्टर) के अनुच्छेद 17 में किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट का अनुमोदन प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है।

- संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं- महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सभी अंगों के कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (General Assembly) :

- संयुक्त राष्ट्र महासभा को 'विश्व की लघु संसद' भी कहा जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा में अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, परंतु एक देश के सभी प्रतिनिधियों का वोट एक ही माना जाता है।
- महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है।
- नियमित सत्र के आयोजन के समय महासभा द्वारा एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता है।
- सुरक्षा परिषद के आग्रह पर महासभा द्वारा विशेष सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं।
- महासभा के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, नए देशों को सदस्यता प्रदान करना और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) :

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है।
- सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है।
- सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य अर्थात कुल 15 सदस्य होते हैं।
- सुरक्षा परिषद में किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, साथ ही इन 9 समर्थक सदस्यों में से पांच स्थायी सदस्यों का होना अनिवार्य है।
- यदि कोई स्थायी सदस्य किसी विषय पर समर्थन नहीं करना चाहता है, तो वह मतदान के समय अनुपस्थित भी रह सकता है।
- किसी विषय पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति को आम सहमति तथा असहमति को 'निषेधाधिकार' (Veto Power) कहा जाता है।
- यदि कोई स्थायी सदस्य देश किसी विषय पर सहमत नहीं है, तो वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।

- अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं।
- महासभा द्वारा अपने दो-तिहाई बहुमत से दो वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (U.N. Economic and Social Council) :

- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक स्थायी संस्था है।
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्तमान सदस्य संख्या 54 है।
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- इसके एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। पदमुक्त सदस्य दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं।
- आर्थिक सामाजिक परिषद विभिन्न स्थायी समितियों, विशेष संस्थाओं और आयोगों जैसे- जनसंख्या एवं यातायात आयोग, आर्थिक रोजगार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष के माध्यम से पूरा करती है।

संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद (UN Trusteeship Council) :

- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यास पद्धति को स्वीकार किया था।
- न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत-विकसित देशों द्वारा अल्पविकसित तथा आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासियों के हितों की देखभाल न्यास या अमानत समझते हुए करना था।
- ध्यातव्य है कि 1 नवंबर, 1994 से इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें शामिल प्रदेश या तो पूर्णतः स्वतंत्र घोषित किए जा चुके हैं अथवा अन्य देशों के साथ उनका विलय हो गया।

सचिवालय (Secretariat) :

- संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है।
- सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार भी महासचिव पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) :

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है।
- इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड्स) में हैं।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। परंतु किसी भी सदस्य देश से एक से अधिक न्यायाधीश नहीं होते हैं।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के पद पर तीन वर्ष के लिए चुनते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम कोरम संख्या 9 है।

अंतरराष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष

संगठन	मुख्यालय	स्थापना वर्ष
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1865
सार्वभौमिक डाक संघ (UPU)	बर्न (स्विट्जरलैंड)	1874
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1919
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1948
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1950
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1967
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1995
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	वाशिंगटन डी.सी. (यू.एस.ए.)	1945
विश्व बैंक	वाशिंगटन डी.सी. (यू.एस.ए.)	1945
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA)	वियना (ऑस्ट्रिया)	1957
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)	वियना (ऑस्ट्रिया)	1966
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO)	वियना (ऑस्ट्रिया)	1996
विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)	मैड्रिड (स्पेन)	1975
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)	मॉन्ट्रियल (कनाडा)	1944
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)	रोम (इटली)	1945
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)	रोम (इटली)	1977
यूनेस्को (UNESCO)	पेरिस (फ्रांस)	1946
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)	लंदन (ब्रिटेन)	1958
रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)	द हेग (नीदरलैंड्स)	1997
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN)	न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)	1945
संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (UNICEF)	न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)	1946
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)	न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)	1969
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1964
अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस (International Committee of the Red Cross : ICRC)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1863
अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1947
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	पेरिस (फ्रांस)	1961

संगठन	मुख्यालय	स्थापना वर्ष
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)	विएना (ऑस्ट्रिया)	1960
एमनेस्टी इंटननेशनल (AI)	लंदन (यू.के.)	1961
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)	ब्रुसेल्स (बेल्जियम)	1949
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI)	बर्लिन (जर्मनी)	1993
अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)	अबू धाबी (यू.ए.ई.)	2009
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)	काठमांडू (नेपाल)	1985
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (ASEAN)	जकार्ता (इंडानेशिया)	1967
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम (APEC)	सिंगापुर	1989
इस्लामी सहयोग संगठन (OIC)	जेद्दाह (सऊदी अरब)	1969
क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ (IOR-ARC)	इबेन (मॉरीशस)	1997
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)	लुसाने (स्विटजरलैंड)	1894
विश्व आर्थिक मंच (WEF)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1971
फुटबॉल एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय महासंघ (FIFA)	ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड)	1904
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)	दुबई (UAE)	1909
अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH)	लुसाने (स्विट्जरलैंड)	1924
विश्व शतरंज संघ (FIDE)	एथेंस (ग्रीस)	1924
अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)	ग्लांड (स्विट्जरलैंड)	1948
निरुपित नाम और नंबर का इंटरनेट निगम (ICANN)	लॉस एंजिल्स, (USA)	1998
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (MSF)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1971
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF)	म्यूनिख (जर्मनी)	1907
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	शंघाई (चीन)	2014
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)	नैरोबी (केन्या)	1972
एशियाई विकास बैंक (ADB)	मनीला (फिलीपींस)	1966
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (IOM)	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	1951
विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष (WWF)	ग्लांड (स्विट्जरलैंड)	1961
ग्रीसपीस	एम्सटर्डम (नीदरलैंड्स)	1971

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश :

1. बेनेगल नरसिंह राव (1952-53)
2. नागेन्द्र सिंह न्यायाधीश के रूप में 73-76 तथा 79-85 उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976-79 और अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985-88 तक) (1973-88)
3. रघुनंदन स्वरूप पाठक (1989-91)
4. दलबीर भंडारी (2012 - अब तक)

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव

नाम	देश	कार्यकाल
1. त्रिग्वेली	नॉर्वे	फरवरी, 1946 से नवंबर, 1952 तक
2. डेग हैमरसोल्ड	स्वीडन	अप्रैल, 1953 से सितंबर, 1961 तक
3. यू थांट	म्यांमार	नवंबर, 1961 से दिसंबर, 1971 तक
4. कुर्त वाल्द्हीम	ऑस्ट्रिया	जनवरी, 1972 से दिसंबर, 1981 तक
5. जेवियर पेरेज द कुइआर	पेरू	जनवरी, 1982 से दिसंबर, 1991 तक
6. बुतरस घाली	मिस्र	जनवरी, 1992 से 1996 तक
7. कोफी अन्नान	घाना	जनवरी, 1997 से 2006 तक
8. बान-की मून	दक्षिण कोरिया	जनवरी, 2007 से दिसंबर 2016 तक
9. एंटोनियो गुटेरस	पुर्तगाल	जनवरी, 2017 से वर्तमान में

8 विश्व के प्रमुख संगठन

राष्ट्रमंडल (Commonwealth) :

- राष्ट्रमंडल अर्थात 'राष्ट्रों का मंडल' या 'संघ'।
- राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है।
- राष्ट्रमंडल की स्थापना वर्ष 1926 में की गई।
- वर्ष 1949 में आधुनिक राष्ट्रमंडल का गठन करके भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया।
- वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है।
- 1 फरवरी, 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बना।
- राष्ट्रमंडल का मुख्यालय 'लंदन' (ब्रिटेन) में स्थित है।
- भारत आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है और इसके बजट में योगदान के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है।

नाटो (The North Atlantic Treaty Organization - NATO) :

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को की गई थी।
- इसकी स्थापना 'सामूहिक सुरक्षा' के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में नाटो के स्वतंत्र सदस्य देशों की संख्या 30 है।
- 27 मार्च, 2020 को उत्तरी मेसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना।
- नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।
- नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है।

यूरोपीय संघ (European Union) :

- रोम की संधि के द्वारा यूरोप के 'इनर सिक्स' देशों (फ्रांस, नीदरलैंडस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लक्जमबर्ग) ने 1 जनवरी, 1958 को 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' की स्थापना किया।
- यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ही आगे चलकर यूरोपीय संघ नाम दिया गया।
- यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर, 1993 को मास्ट्रिच (नीदरलैंड्स) में हुई।
- यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।
- यूरोपीय संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है।
- यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी, 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया।
- यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों (फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, लक्जमबर्ग, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, एस्तोनिया, लाटविया, आयरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, लिथुआनिया और स्लोवेनिया) में यूरो मुद्रा प्रचलित है।
- यूरोपीय संघ द्वारा अपनी मुद्रा (यूरो) के प्रचलन के लिए 1 जनवरी, 1994 को यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई थी।
- यूरोपीय संघ द्वारा यूरो के प्रचलन एवं नियंत्रण के लिए 1 जून, 1998 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना जर्मनी के फ्रैंकफुर्त में किया गया।
- यूरोपीय संघ का 28वां देश क्रोएशिया था, जो 1 जुलाई, 2013 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, परन्तु इस संघ की सदस्यता से ब्रिटेन के बाहर (31 जनवरी, 2020 को) निकलने के पश्चात क्रोएशिया अब इस संघ का 27वां देश है।
- ध्यातव्य है कि 23 जून, 2016 को यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम एवं जिब्राल्टर में जनमत संग्रह संपन्न हुआ था, जिसका परिणाम यूरोपीय संघ से मुक्त होने के पक्ष में आया था।

यूरोपीय संघ के संगठन एवं मुख्यालय

	संगठन	मुख्यालय
1.	यूरोपीय संसद	ब्रुसेल्स
2.	यूरोपीय परिषद	ब्रुसेल्स
3.	यूरोपीय संघ की परिषद	ब्रुसेल्स
4.	यूरोपीय कमीशन	ब्रुसेल्स
5.	यूरोपीय संघ का न्यायालय	लक्जमबर्ग
6.	यूरोपीय केंद्रीय बैंक	फ्रैंकफर्ट
7.	यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स	लक्जमबर्ग
8.	यूरोपीय आर्थिक-सामाजिक समिति	ब्रुसेल्स

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation Development - OECD) :

- यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- वर्ष 1961 में 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन' को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या 37 है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC) :

- ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी।
- ओपेक के संस्थापक सदस्य देश हैं- इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
- ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है।
- ओपेक की वर्तमान सदस्य संख्या 13 है। अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Aligned Movement - NAM) :

- वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था।
- 'गुट निरपेक्ष आंदोलन' का मुख्यालय, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
- वर्तमान में गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों की संख्या 120 है।
- गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश ही उसकी अध्यक्षता करता है।

रेड क्रॉस (Red Cross) :

- रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी।
- रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।
- रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध अथवा आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना है।
- प्रतिवर्ष हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन 8 मई को 'विश्व रेड क्रॉस दिवस' मनाया जाता है।
- रेड क्रॉस को वर्ष 1917, 1944 एवं 1963 में तीन बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

अरब लीग (Arab League) :

- अरब लीग की स्थापना 22 मार्च, 1945 को काहिरा में की गई थी।
- वर्तमान में अरब लीग में सदस्य देशों की संख्या 22 है।
- अरब लीग का मुख्यालय 'काहिरा' में है।

आसियान (Association of South-East Asian Nations - ASEAN)

- 'दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ' (आसियान) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को की गई थी।
- आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है।
- वर्तमान में आसियान में शामिल देशों की संख्या 10 है।
- भारत वर्ष 1996 में आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश बना।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank : ADB)

- एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी।
- एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 68 है।
- एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (The South Asian Association For Regional Cooperation - SAARC) :

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दिसंबर, 1985 में की गई थी।
- सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है।
- सार्क के 8 सदस्य देश हैं- नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।

जी-7 (Group - 7)

- फ्रांस द्वारा जी-7 की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी।
- अमेरिका के डरबन में 20-22 जून, 1997 को जी-7 के शिखर सम्मेलन में रूस 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इसका नाम जी-8 हो गया।
- लेकिन, वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता निलंबित होने से यह संगठन पुनः G-7 के रूप में जाना जाने लगा।
- जी-7 में शामिल देश हैं- अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी एवं जापान।

स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल (CIS)

- 'स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल' की स्थापना बेलारूस, यूक्रेन और रूस ने संयुक्त रूप से दिसंबर, 1991 में किया था।
- 'मिस्क' (बेलारूस) में इसका प्रशासनिक केंद्र स्थित है।

ब्रिक्स (Brazile, Russia, India, China and South Africa -BRICS)

- ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन ने वर्ष 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक (BRIC) की स्थापना की।
- रूस के येकटेरिनबर्ग में 16 जून, 2009 को ब्रिक का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।
- 15 अप्रैल, 2010 को ब्राजीलिया में द्वितीय सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में सदस्यता प्रदान करने पर सहमति बनी।
- चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक शिखर सम्मेलन में 14 अप्रैल, 2011 को दक्षिण अफ्रीका को इस संगठन में शामिल किया गया तथा इसका नाम 'ब्रिक्स' (BRICS) हो गया।

भारत की विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाएं

प्रथम भारतीय महिला	नाम	उपलब्धि वर्ष
राष्ट्रपति	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	2007
प्रधानमंत्री	इंदिरा गांधी	1966
विद्यालय संचालिका (महिला शिक्षक)	सावित्री बाई फुले	1848
भारतीय वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर	हिना जायसवाल	2019
फाइटर जेट पायलट	अवनी चतुर्वेदी	2018
हॉक एडवांस जेट पायलट	मोहना सिंह	2019
लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर पार करने वाली	आरोही पंडित	2019
लोक सभा अध्यक्ष	मीरा कुमार	2009
राज्य सभा उपाध्यक्ष	वायलेट हरी अल्वा	1962
सांसद	राधाबाई सुबारायन	1938
राज्यपाल	सरोजिनी नायडू (उ.प्र.)	1947
यूपीएससी अध्यक्षा	रोज मिलियन बैथ्यू	1992
महिला शासिका	रजिया सुल्तान	1236
आई.ए.एस.	अन्ना राजम मल्होत्रा	1950
आई.पी.एस.	किरण बेदी	1972
मुख्यमंत्री	सुचेता कृपलानी (उ.प्र.)	1963
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर	1947
कांग्रेस अध्यक्षा	डॉ. एनी बेसेंट	1917
उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश	मीरा साहिब फातिमा बीबी	1989
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश	लीला सेठ (हिमाचल प्र.)	1991
सत्र न्यायाधीश	अन्ना चांडी (केरल)	1948
अशोक चक्र प्राप्तकर्ता	नीरजा भनोट	1987
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत	विजयलक्ष्मी पंडित	1953
इंग्लिश चैनल विजय	आरती साहा	1959
नोबेल पुरस्कार	मदर टेरेसा	1979
एवरेस्ट आरोहण	बछेन्द्री पाल	1984
मिस वर्ल्ड	कुमारी रीता फारिया	1966
दो बार एवरेस्ट विजय	संतोष यादव	1992, 1993

प्रथम भारतीय महिला	नाम	उपलब्धि वर्ष
मिस यूनिवर्स	सुष्मिता सेन	1994
भारत रत्न से सम्मानित	श्रीमती इंदिरा गांधी	1971
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता	आशापूर्णा देवी	1976
ट्रेन ड्राइवर	सुरेखा यादव	—
मिस एशिया पैसिफिक	जीनत अमान	1970
मैन बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता	अरुंधति रॉय	1997
एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक	विनेश फोगाट	2018
उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्तकर्ता	सुषमा स्वराज	
अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता	एन. लम्सडेन	1961 हॉकी
ओलंपिक पदक प्राप्तकर्ता	कर्णम मल्लेश्वरी (कांस्य पदक)	2000, भारोत्तोलन
अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल दोनों पुरस्कार प्राप्तकर्ता	कुंजरानी (ग्रांड ओल्ड लेडी)	1990, 1996-97
महिला मेयर	तारा चेरियन (चेन्नई)	1958
महिला स्नातक (प्रतिष्ठा)	कामिनी रॉय	1886
महिला स्नातक	कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु	1883
वायुसेना में पायलट	हरिता कौर देओल	1994
लेफ्टिनेंट जनरल	पुनीता अरोड़ा	2004
एयर वाइस मार्शल	पी. बंदोपाध्याय	2002
चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस	सुषमा चावला	2005
अंतरिक्ष में जाने वाली	कल्पना चावला	1997
पहली भारतीय अमेरिकी	(अमेरिकी नागरिक)	
ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता	भानु अथैय्या	1983
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक	कमलजीत संधू	1970
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली	रीना कौशल धर्मशक्तू	2009
सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली	बुला चौधरी	—
गोबी रेगिस्तान पार करने वाली	सुचेता कडेथांकर	2011
राज्य सभा की प्रथम महिला महासचिव	वी.एस. रमादेवी	1993

राज्य सभा के लिए नामांकित फिल्म अभिनेत्री	नरगिस दत्त	1980
अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली	मेहर मूस	1976
साहित्य अकादमी पुरस्कार/ विजेता	अमृता प्रीतम	1956
ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग	मैरी लीला राव	1956
भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री	देविका रानी रोरिक	—
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष	जयंती पटनायक	1992
दूरदर्शन समाचारवाचक	प्रतिमा पुरी	1959
ओलंपिक बैडमिंटन (महिला वर्ग) में रजत पदक	पी.वी. सिंधु	2016 रियो ओलंपिक
ओलंपिक बैडमिंटन (महिला वर्ग में) कांस्य पदक	साइना नेहवाल	2012 लंदन ओलंपिक
ओलंपिक महिला कुश्ती कांस्य पदक	साक्षी मलिक	(2016 रियो ओलंपिक)
महिला विदेश सचिव	चोकिला अय्यर	2001
ओलंपिक जिमनास्टिक्स में क्वालीफायर	दीपा कर्माकर	2016
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्या	नीता अंबानी	2016

भारत के/में विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष

भारत के/में प्रथम पुरुष	नाम	उपलब्धि वर्ष
गवर्नर जनरल	लॉर्ड विलियम बेंटिक	1828
अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय	लॉर्ड कैनिंग	1856
अंतिम वायसराय	लॉर्ड माउंटबेटन	1947
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल	लॉर्ड माउंटबेटन	1947
स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम (भारतीय) गवर्नर जनरल	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	1948
प्रथम राष्ट्रपति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	1950
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति	डॉ. जाकिर हुसैन	1967
उपराष्ट्रपति	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952
प्रथम प्रधानमंत्री	पं. जवाहरलाल नेहरू	1947
प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री	सरदार वल्लभ भाई पटेल	1947
प्रथम शिक्षा मंत्री	अबुल कलाम आजाद	1947
केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री	श्यामा प्रसाद मुखर्जी	1950
प्रथम एयर कमांडर इन-चीफ	एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट	1947
प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टॉफ	एयर मार्शल एस. मुखर्जी	1955
प्रथम नौसेना कमांडर इन-चीफ	वाइस एडमिरल सर विलियम एडवर्ड पैरी	1950
प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ	जनरल एम. राजेंन्द्र सिंहजी जडेजा	1955
प्रथम आर्मी कमांडर-इन-चीफ	जनरल रॉब लॉकहर्ट	1947
प्रथम फील्ड मार्शल	जनरल सैम मानेकशॉ	1973
लोक सभा का प्रथम अध्यक्ष	गणेश वासुदेव मावलंकर	1952
प्रथम चुनाव आयुक्त	सुकुमार सेन	1950
प्रथम मुख्य न्यायाधीश	हीरालाल जे. कानिया	1950
स्वतंत्र भारत में जन्में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ति सरोश होमी कपाड़िया	2010
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश (अध्यक्ष)	डॉ. नागेन्द्र सिंह	1985
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश	सर बेनेगल नरसिंह राव	1952
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष	व्योमेशचंद्र बनर्जी	1885
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष	बदरुद्दीन तैयबजी	1887
राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति	हसरत मोहानी	1921
नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय	रबीन्द्रनाथ ठाकुर	1913
भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक	सी.वी. रमन (भौतिकी)	1930

मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय	आचार्य विनोबा भावे	1958
स्टालिन शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय	सैफुद्दीन किचलू	1952
गोल्डेन ग्लोब पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय	ए.आर. रहमान	2009
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक	खान अब्दुल गफ्फार खान	1987
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति	जी. शंकर कुरूप	1965
आई.सी.एस. में सफल होने वाला प्रथम भारतीय	सत्येंद्र नाथ टैगोर	1863
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय	राकेश शर्मा	1984
इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय	मिहिर सेन	1958
पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय	बैद्यनाथ	1967
बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय	शेरपा फू दोरजी	1984
भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री	फाह्यान	405-411 ईस्वी

मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज	सर विलियम हॉकिंस	1609
भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति	ड्वाइट डेविड आइजन-होवर	1959
भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री	हेरोल्ड मैकमिलन	1958
भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री	निकोलाई ए. बुलगानिन	1955
प्रथम भारतीय पायलट	जे.आर.डी. टाटा	1929
ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा (10 मी. एयर राइफल, 2008) में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला	अभिनव बिन्द्रा	2008 बीजिंग ओलंपिक
ब्रिटिश संसद सदस्य प्रथम भारतीय	दादाभाई नौरोजी	1892
भारत में प्रथम समाचार-पत्र प्रकाशक	जेम्स अगस्टस हिक्की	1780
भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का प्रचालन कर्ता	जेम्स अगस्टस हिक्की	1780
भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशक	पं. जुगल किशोर शुक्ला	1826
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक विजेता प्रथम भारतीय	प्रकाश पादुकोण (कांस्य पदक)	1983

भारत में प्रथम

भारत का प्रथम	नाम	उपलब्धि वर्ष
परमाणु रिएक्टर	अप्सरा	1956
परमाणु पनडुब्बी	आई.एन.एस. चक्र	1987
प्रथम पनडुब्बी	आई.एन.एस. कलवरी	1967
विमानवाहक पोत	आई.एन.एस. विक्रांत	1961
लघु दूरी मिसाइल	पृथ्वी	1988
एशियाई खेल का आयोजन	दिल्ली	1951
दूरदर्शन केंद्र	नई दिल्ली	1959
दूरदर्शन द्वारा प्रथम बार रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण	–	1982
मूक फिल्म	राजा हरिश्चंद्र	1913

भारत का प्रथम	नाम	उपलब्धि वर्ष
बोलती फिल्म	आलम आरा	1931
भारत की पहली टेक्नीकलर फिल्म	झांसी की रानी	1953
प्रथम प्रायोजित सीरियल	हम लोग	1984
प्रथम 3-डी फिल्म	माई डियर कुट्टीचातन	1984
भारत का प्रथम समाचार-पत्र	बंगाल गजट	1780
प्रथम महिला रोजगार कार्यालय	जयपुर	—
भारत का प्रथम हाईस्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंड नेटवर्क की शुरुआत	इदुक्की (केरल)	2015

भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा

सबसे लंबा सड़क पुल	भूपेन हजारिका सेतु (असम)
सबसे बड़ा पशुओं का मेला	सोनपुर (बिहार)
सबसे ऊंची मीनार	फतेह बुर्ज (पंजाब)
सबसे बड़ी झील	वुलर झील (जम्मू-कश्मीर)
सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध	भाखड़ा बांध (पंजाब)
सबसे बड़ा रेगिस्तान	थार (राजस्थान)
सबसे बड़ा गुफा मंदिर	कैलाश मंदिर (एलोरा, महाराष्ट्र)
सबसे बड़ा चिड़ियाघर	अरिगनार अन्ना जूलोजिकल पार्क (चेन्नई)
सबसे बड़ी मस्जिद	ताज-उल-मस्जिद (भोपाल)
सबसे ऊंची चोटी	गॉडविन ऑस्टिन (K-2)
सबसे लंबी सुरंग (सड़क)	चेनानी-नाशरी सुरंग (9.28 किमी.) जम्मू-कश्मीर
सबसे लंबी सुरंग (रेलवे)	पीर पंजाल (11.215 किमी.) जम्मू-कश्मीर
सबसे बड़ा डेल्टा	सुंदरबन डेल्टा (प. बंगाल)
सबसे अधिक वनों का राज्य	मध्य प्रदेश
सबसे बड़ा कॉरिडोर	रामानाथस्वामी मंदिर (रामेश्वरम तमिलनाडु)
सबसे ऊंचा झरना (चौड़ाई की दृष्टि)	जोग या गरसोप्पा (कर्नाटक)
सबसे ऊंचा दरवाजा	बुलंद दरवाजा (फतेहपुर सीकरी)
सबसे लंबी नदी	गंगा नदी
सबसे बड़ा अजायबघर	कोलकाता अजायबघर
सबसे बड़ा गुम्बद	गोल गुम्बद (बीजापुर)
सबसे ऊंची मूर्ति	स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (गुजरात)
सर्वाधिक वर्षा का स्थान	मासिनराम (मेघालय)
सबसे लंबी नहर	इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान)
सबसे विशाल स्टेडियम	युवा भारती क्रीडांगन (साल्ट लेक), कोलकाता
सबसे अधिक आबादी वाला शहर	मुंबई (महाराष्ट्र)
सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य	महाराष्ट्र
सबसे लंबा रेल मार्ग	डिब्रगूढ़ से कन्याकुमारी
सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह	मुंबई (महाराष्ट्र)
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- NH-27EW (पोरबंदर से सिलचर)
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य	गुजरात

खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील	चिल्का झील (ओडिशा)
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील	वुलर झील (जम्मू-कश्मीर)
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी	यमुना नदी
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी	गोदावरी
सबसे लंबा बांध	हीराकुंड बांध (ओडिशा)
भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान	परमवीर चक्र
भारत का सर्वोच्च सम्मान	भारत रत्न
सबसे बड़ा गुरुद्वारा	स्वर्ण मंदिर, अमृतसर
सबसे बड़ा गिरजाघर	से कैथडरल (गोवा)
सबसे ऊंचा टी.वी. टावर	रामेश्वरम (तमिलनाडु)
सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य	आंध्र प्रदेश
सबसे लंबा समुद्र तट	मरीना बीच (चेन्नई)
सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी	कोसी नदी
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	गोविंद बल्लभ पंत सागर
सबसे गहरी नदी घाटी	भागीरथी व अलकनंदा
सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल	सियाचिन ग्लेशियर
सबसे बड़ा नदी द्वीप	माजुली (ब्रह्मपुत्र नदी, असम)
सबसे बड़ा तारामंडल	बिड़ला प्लैनेटोरियम (कोलकाता)
सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल)	राजस्थान
सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल)	कच्छ (गुजरात)
सबसे तेज चलने वाली ट्रेन	वंदे भारत (एक्सप्रेस)
सबसे बड़ा किला	चित्तौगढ़ किला (राजस्थान)
सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग	नेल्लोर जिले में चेरलोपल्ली और रैपुरू स्टेशनों के मध्य निर्मित (आंध्र प्रदेश)
सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन	ऑल इंडिया रेडियो का लेह स्टेशन
सबसे बड़ा भवन	राष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली)
सबसे बड़ा प्रदर्शनी मैदान	प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स (नई दिल्ली)
सबसे बड़ा डाकघर	मुंबई जीपीओ
सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर	हिक्किम (हिमाचल प्रदेश)
सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन	विवेक एक्सप्रेस (डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी)

विश्व में प्रथम

प्रथम	नाम
एवरेस्ट-शिखर विजेता	शेरपा तेनजिंन नोर्गे (भारत) एवं एडमंड हिलेरी (न्यूजीलैंड)
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति	रॉबर्ट पियरी (USA)
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति	रोआल्ड एमुण्डसेन (नॉर्वे)
विश्व का पहला धर्म	सनातन धर्म
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला	कैरोलिन मिकल्सन (नॉर्वे)
पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश	चीन
कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश	चीन
सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश	चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति	जॉर्ज वाशिंगटन
ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री	रॉबर्ट वालपोल
संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रथम महासचिव	त्रिग्वे ली (नॉर्वे)
शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश	प्रशिया
प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश	उरुग्वे
संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश	संयुक्त राज्य अमेरिका
पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल	मोहम्मद अली जिन्ना
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल	बेलग्रेड
चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन	मार्को पोलो
वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति	राइट बन्धु
विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति	फर्डीनेंड मैगलन
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश	संयुक्त राज्य अमेरिका
कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश	तत्कालीन सोवियत संघ
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश	यूनान
चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति	डॉ. सुनयत-सेन
प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया	हिरोशिमा (जापान)
सर्वाधिक पशुओं वाला देश	भारत
विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय	तक्षशिला विश्वविद्यालय
चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति	नील आर्मस्ट्रांग (अमेरिका)
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति	मेजर यूरी गागरीन (रूस)
अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति	एलेक्सी लियोनोव (रूस)
अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल	कोलम्बिया

प्रथम	नाम
इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री	मार्ग्रेट थैचर
किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री	बेनजीर भुट्टो (पाकिस्तान)
विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री	एस. भण्डारनायके (श्रीलंका)
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला	वेलेण्टिना तेरेश्कोवा (तत्कालीन सोवियत संघ)
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला	जुंको तबेई (जापान)
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी	सिकंदर
विश्व में किसी देश की प्रथम महिला	मारिया एस्टेला मार्टिनाज राष्ट्रपति कार्टस डे पेरोन (अर्जेंटीना)
अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला	कैरोलिन मिकल्सन
पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति	अनेग्जीमेंडर
सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति	रिचर्ड बास
विम्बलडन ब्वाएज सिंगल्स का खिताब जीतने वाला पहला एशियाई व्यक्ति	रामनाथन कृष्णन
साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	सली प्रुधोमे
शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	हेनरी दुनांट एवं फ्रेडेरिक पैसी
भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	डब्ल्यू. सी रोंटजेन
रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	जे.एच. वैंट हॉफ
चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	ई.ए. वॉन बेहरिंग
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	रेगनर फ्रिश एवं जॉन टिनबर्गन
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला	गेर्ट्रुडे एडेर्ले
विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया	नीदरलैंड्स
बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश	स्वीडन
रोबोट (सोफिया) को नागरिकता प्रदान करने वाला प्रथम देश	सऊदी अरब

विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा लंबा एवं ऊंचा

सबसे बड़ा महाद्वीप	एशिया
सबसे छोटा महाद्वीप	ऑस्ट्रेलिया
सबसे बड़ा महासागर	प्रशांत महासागर
सबसे गहरा महासागर	प्रशांत महासागर
सबसे बड़ा नगर (क्षेत्रफल की दृष्टि से)	लंदन (ग्रेट-ब्रिटेन)
सबसे बड़ा देश (क्षेत्रफल की दृष्टि से)	रूस
सबसे छोटा देश (क्षेत्रफल की दृष्टि से)	वेटिकन सिटी
सर्वाधिक जनसंख्या का देश	चीन
सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश	भारत
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व	अंटार्कटिका
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश	मोनाको
सर्वाधिक आबादी वाला नगर	शंघाई (चीन)
सबसे कम आबादी वाला नगर	वेटिकन सिटी
सबसे लंबी साझा सीमा वाला देश	कनाडा
सबसे छोटी सीमा वाला देश	जिब्राल्टर
सर्वाधिक सीमाओं वाला देश	चीन
सबसे बड़ा द्वीप	ग्रीनलैंड
सबसे बड़ा प्रायद्वीप	अरब प्रायद्वीप
सबसे बड़ा द्वीप-समूह देश	इंडोनेशिया
सबसे बड़ा नदी-द्वीप	माजुली (ब्रह्मपुत्र नदी, असम)
सबसे बड़ा डेल्टा	सुंदरबन (भारत)
सबसे लंबी नदी	नील नदी (मिस्र)
सबसे बड़ी नदी (चौड़ी व बहाव की दृष्टि से)	अमेजन (द. अमेरिका)
सबसे बड़ा सागर	दक्षिणी चीन सागर
सबसे विशाल उपसागर	हडसन उपसागर
सबसे छोटी पक्षी	हमिंगबर्ड
सबसे लंबी सहायक नदी	मेडिरा (अमेजन की सहायक नदी)
सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी	राइन नदी
सबसे व्यस्त नहर	कील नहर
सबसे बड़ी झील	कैस्पियन सागर (रूस)
सबसे बड़ी ताजे पानी की झील	सुपीरियर झील (अमेरिका)
सबसे गहरी झील	बैकाल झील (रूस)
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील (नौकायन)	टिटिकाका (द.अमेरिका)
सबसे ऊंचा जलप्रपात (झरना)	साल्टो एंजिल (वेनेजुएला)

सबसे चौड़ा जलप्रपात	खोन जलप्रपात (लाओस)
सबसे बड़ा गल्फ	मैक्सिको का गल्फ
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर	माउंट एवरेस्ट (हिमालय, नेपाल)
सबसे ऊंची पर्वतमाला	हिमालय (एशिया)
सबसे लंबी पर्वतमाला	एंडीज (दक्षिण अमेरिका)
सबसे ऊंचा पठार	पामीर (तिब्बत) का पठार
सबसे नीची पहाड़ी	बुकिट थामसन (ब्रुनेई)
सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी	ओजोस डेल सलाडा (अर्जेंटीना- चिली की सीमा पर स्थित)
सबसे विशाल ज्वालामुखी	मौना-केआ (हवाई द्वीप)
सबसे ऊंचा बांध	नुरेक (ताजिकिस्तान)
सबसे बड़ा बांध (कंक्रीट)	जिनपिंग आई बांध (चीन)
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश, भारत)
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन	ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल (न्यूयॉर्क)
सबसे लंबी रेलमार्ग	ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन	तंग्गुला (चीन)
सबसे बड़ी रेल सुरंग	गोत्थार्ड बेसटनल (स्विट्जरलैंड)
सबसे बड़ी सड़क सुरंग	लैरडल (नॉर्वे)
सबसे ऊंची सड़क	उम्लिंग ला पास (भारत)
सबसे लंबा सड़क पुल	डेनयांग-कुंशन ग्रांड ब्रिज (चीन)
सबसे लंबा राजमार्ग	पैन-अमेरिकन राजमार्ग
सबसे ऊंचा नगर	ला रिनकोनाडा (पेरू)
सबसे ऊंची राजधानी	ला पाज (बोलिविया)
सबसे बड़ा रेगिस्तान	सहारा (अफ्रीका)
एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान	गोबी (मंगोलिया)
सबसे ठंडा प्रदेश	वोस्तोक (अंटार्कटिका)
सबसे बड़ी मस्जिद	मस्जिद अल-हराम (मक्का, सऊदी अरब)
सबसे ऊंची मस्जिद	जामा-एल-जाजैर (Dyarnaa-el Dyazair) अल्जीरिया
सबसे बड़ा गिरजाघर	वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी (इटली)
सबसे ऊंची बिल्डिंग	बुर्ज खलीफा (दुबई)
सबसे लंबी दीवार	चीन की दीवार

सबसे बड़ा स्टेडियम	रूंगराडो 1st ऑफ मई स्टेडियम (उत्तर कोरिया)
सबसे बड़ा घंटाघर	अबराज अल बेल (मक्का)
सबसे बड़ा बंदरगाह	शंघाई (चीन)
यात्रियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा	हार्ट्सफील्ड-जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
सबसे बड़ा हवाई अड्डा	किंग फहद, दम्माम (सऊदी अरब)
सर्वाधिक बुद्धिमान पशु	चिम्पांजी
सबसे विशाल मंदिर	अंकोरवाट का मंदिर (कंबोडिया)

सबसे बड़ा पुस्तकालय	कांग्रेस पुस्तकालय (वाशिंगटन (USA) स्थापना- 1800)
सबसे बड़ा महाकाव्य	महाभारत
सबसे बड़ा पार्क	नार्थ-ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क
सबसे बड़ा प्लैनेटोरियम	सेंट पीटर्सबर्ग
सबसे बड़ा महल	फॉरबिडेन सिटी बीजिंग (चीन)
सबसे लंबा वृक्ष	सिकोया का वृक्ष, कैलिफोर्निया
सबसे ऊंचा पशु	जिराफ
सबसे विशालकाय पशु	ब्लू व्हेल
सबसे बड़ा पक्षी	ऑस्ट्रिच (शुतुरमुर्ग)

प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक

देश	स्मारक
इटली	झुकी हुई मीनार (पीसा)
रूस	मॉस्को क्रेमलिन
यूनान	पार्थेनन (एथेंस)
जापान	इम्पिरियल पैलेस (टोक्यो)
चीन	द ग्रेट वाल (उत्तर चीन)
ऑस्ट्रेलिया	ओपेरा हाउस (सिडनी)
मिस्र	पिरामिड (गीजा)
फ्रांस	एफिल टावर (पेरिस)
डेनमार्क	पवन चक्की (किंडरडिज्क)
यू.एस.ए.	स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (न्यूयॉर्क)
भारत	ताजमहल (आगरा)

अंतरराष्ट्रीय सीमाएं

मैकमोहन रेखा	भारत एवं चीन
रेडक्लिफ रेखा	भारत एवं पाकिस्तान
38वीं समानांतर रेखा	उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया
मैगीनॉट रेखा	जर्मनी एवं फ्रांस
49वीं समानांतर रेखा	USA एवं कनाडा
मेनरहीम रेखा	रूस एवं फिनलैंड
ड्यूरंड (डूरंड) रेखा	पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान

विभिन्न देशों के राजनीतिक दल

यू.एस.ए.	रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी
इराक	अरब सोशलिस्ट, बाथ पार्टी, इस्लामिक दावा पार्टी, अरब यूनिटी पार्टी
इस्राइल	मेरेट्ज पार्टी, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी, शास पार्टी, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी
फ्रांस	द रिपब्लिंकस, सोशलिस्ट पार्टी, ला रिपाब्लिक एन मार्चे!
ऑस्ट्रेलिया	लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लिबरल नेशनल पार्टी
बांग्लादेश	बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग, जातीय पार्टी
नेपाल	नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल
चीन	चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना डेमोक्रेटिक लीग
श्रीलंका	यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी
द. अफ्रीका	अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी, इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर
यू.के.	कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
रूस	यूनाइटेड रसिया पार्टी, रोडिना, कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
भारत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
पाकिस्तान	मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी

प्रमुख चिह्न तथा प्रतीक	
रेड क्रॉस	डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल
लाल झंडा	क्रांति या खतरे का सूचक
काला झंडा	विरोध का प्रतीक
पीला झंडा	संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा
उल्टा झंडा	संकट का प्रतीक
झुका झंडा	राष्ट्रीय शोक का प्रतीक
सफेद झंडा	संधि या समर्पण का प्रतीक
लाल त्रिकोण	परिवार नियोजन का प्रतीक
कबूतर पक्षी	शांति का प्रतीक
लाल प्रकाश	खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक
हरा प्रकाश	यातायात को जाने का संकेत
आंखों पर बांधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री	न्याय का प्रतीक
बांह पर काली पट्टी	शोक, विरोध और दु:ख का प्रतीक
एक-दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी	बिजली का खतरा
चक्र	प्रगति का प्रतीक

प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिह्न	
देश	**चिह्न**
भारत	अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग
बेल्जियम	शेर
लक्जमबर्ग	लॉयन विथ क्राउन
सेनेगल	अदनसोनिया
श्रीलंका	शेर
तुर्की	चांद-तारा
डेनमार्क	समुद्री तट
नॉर्वे	शेर
बांग्लादेश	वाटर लिली
फ्रांस	लिली
नीदरलैंड्स	शेर
यू.के.	गुलाब का फूल
यू.एस.ए.	ईगल
जापान	गुलदाऊदी
कनाडा	मैपल लीफ टार्टन
ऑस्ट्रेलिया	कंगारू
रूस	डबल हेडेड ईगल

प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सूचकांक		
सूचकांक	**शीर्ष देश**	**भारत का स्थान**
वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020	बेलारूस	94वां
आईएमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक, 2020	स्विट्जरलैंड	62वां
वैश्विक शांति सूचकांक, 2020	आइसलैंड	139वां
मानव पूंजी सूचकांक, 2020	सिंगापुर	116वां
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2020	सिंगापुर	120वां
वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2020	स्विट्जरलैंड	48वां
वैश्विक, विनिर्माण जोखिम सूचकांक, 2020	चीन	तीसरा
पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, 2020	डेनमार्क	168वां
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, 2020	स्वीडन	117वां
वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, 2020	यूनाइटेड किंगडम	34वां
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, 2020	डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड	80वां
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, 2020	अमेरिका	40वां
पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, 2020	डेनमार्क	76वां
लोकतंत्र सूचकांक, 2020	नॉर्वे	51वां
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2021	स्वीडन	10वां
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2020	आइसलैंड	112वां
डूइंग बिजनेस इंडेक्स, 2020	न्यूजीलैंड	63वां
लेगाटम समृद्धि सूचकांक, 2020	डेनमार्क	101वां
मानव विकास सूचकांक, 2020	नॉर्वे	131वां
महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक, 2019	नॉर्वे	133वां
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2020	अफगानिस्तान	8वां
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, 2019	यूएसए	82वां
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 2019	सिंगापुर	68वीं
आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 2020	सिंगापुर	43वां
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, 2020	स्वीडन	74वां
एशिया पॉवर इंडेक्स, 2020	अमेरिका	चौथा
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020	नॉर्वे	142वां
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2020	फिनलैंड	144वां
वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक	स्पेन	34वां
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 2020	स्विट्जरलैंड	72वां

प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज

ग्रीन बुक	इटली और ईरान के सरकारी प्रकाशन	ब्लू बुक	ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट
ऑरेंज बुक	नीदरलैंड्स सरकार की रिपोर्ट	ग्रे बुक	बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट
ह्वाइट बुक	पुर्तगाल, चीन व जर्मनी के सरकारी प्रकाशन	येलो बुक	फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट
ह्वाइट पेपर	ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट	ज्वाइंट पेपर	दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन

महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप

WHO	:	World Health Organisation
MJPJAY	:	Mahatma Jyotibaphule Jan Arogya Yojna
COVID-19	:	CORONA VIRUS DISEASE - 2019
NHM	:	National Health Mission
DAY-NULM	:	Deendayal Antyodaya Yojna - National Urban Livelihoods Mission
EoDB	:	Ease of Doing Business
DRI	:	Directorate of Revenue Intelligence
CAB	:	Citizenship (Amendment) Bill
NRC	:	National Register of Citizens
ITLU	:	ISRO Technical Liaision Unit
LMTPA	:	Lakh Metric Tonne Per Annum
PMBJP	:	Pradhan Mantri Bhartiya Janaushathi Pariyojan
MEIS	:	Merchandise Exports from India Scheme
FFS	:	Fund of Funds for Startups
GSLV	:	Geosynchronous Satellite Launch Vehicle
IMD	:	India Meteorological Department
HADR	:	Humanitarian Aid Distress Relief
NCMC	:	National Crisis Management Committee
SME	:	Small and Medium Enterprises
CDSCO	:	Central Drugs Standard Control Organization
GCNEP	:	Global Centre for Nuclear Energy Partnership
AI	:	Artificial Intelligence
ITSSO	:	Investigation Tracking System for Sexual Offences
ERSS	:	Emergency Response Support System
PMJVK	:	Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram
NMF	:	National Maritime Foundation
NDDTS	:	National Drug Dependence Treatment Centre
PRIs	:	Panchayati Raj Institutions
PM-JAY	:	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
IBBI	:	Insolvency and Bankruptcy Board of India
DDRS	:	Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme
DRDO	:	Defence Research & Development Organization
CEA	:	Central Electricity Authority
IIP	:	Index of Industrial Production
IPR	:	Intellectual Property Rights
FDI	:	Foreign Direct Investment
NEIDS	:	North East Industrial Development Scheme
AKIC	:	Amritsar Kolkata Industrial Corridor
NIMZs	:	National Investment and Manufacturing Zones
DMIC	:	Delhi-Mumbai Industrial Corridor
EPS	:	Employee Pension Scheme
UTs	:	Union Territories
DIPP	:	Department of Industrial Policy & Promotion
CLE	:	Council for Leather Exports
CPCB	:	Central Pollution Control Board
GSDP	:	Green Skill Development Programme
UNFCCC	:	United Nations Framework Convention on Climate Change
NAPCC	:	National Action Plan on Climate Change
CPSE	:	Central Public Sector Enterprises
IMD	:	India Meteorological Department
PMFBY	:	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
MSP	:	Minimum Support Price
MIDH	:	Mission for Integrated Development of Horticulture
NMSA	:	National Mission for Sustainable Agriculture
KVKs	:	Krishi Vigyan Kendras
MoU	:	Memorandum of Understanding
NITI	:	National Institution for Transforming India
UIDAI	:	Unique Identification Authority of India
SEBI	:	Securities and Exchange Board of India
NPA	:	Non-Performing Asset
BHIM	:	Bharat Interface for Money
UDAN	:	Ude Desh Ka Aam Nagrik
TRAI	:	Telecom Regulatory Authority of India
UDAY	:	Ujwal DISCOM Assurance Yojana
SAFAR	:	System of Air Quality and Weather Forecasting
NGT	:	National Green Tribunal
IPPB	:	India Post Payments Bank
CRR	:	Cash Reserve Ratio
SLR	:	Statutory Liquidity Ratio
RBI	:	Reserve Bank of India
MUDRA	:	Micro Units Development and Refinance Agency
HRIDAY	:	Heritage City Development and Augmentation
VVPAT	:	Voter Varifiable Paper Audit Trail
GST	:	Goods and Services Tax
SPARSH	:	Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby
DARPAN	:	Digital Advancement of Rural Post Office for a New India
ODF	:	Open Defection Free
NRC	:	National Register of Citizens
VAT	:	Value Added Tax
IRDA	:	Insurance Regulatory and Development Authority
NOTA	:	None Of The Above
AMRUT	:	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राजधानी

(1 जनवरी, 2020 तक अद्यतन)

राज्य	राज्यपाल	मुख्यमंत्री	राजधानी
आंध्र प्रदेश	बिस्वा भूषण हरिचंदन	**वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी**	हैदराबाद
अरुणाचल प्रदेश	ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा	पेमा खांडू	ईटानगर
असम	प्रो. जगदीश मुखी	सर्बानंद सोनोवाल	दिसपुर
बिहार	फागू चौहान	नीतीश कुमार	पटना
छत्तीसगढ़	अनुसुइया उइके	डॉ. भूपेश बघेल	रायपुर
गोवा	भगत सिंह कोश्यारी (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमोद सावंत	पणजी
गुजरात	आचार्य देवव्रत	विजय रूपानी	गांधीनगर
हरियाणा	सत्यदेव नारायण आर्य	मनोहर लाल खट्टर	चंडीगढ़
हिमाचल प्रदेश	बंडारू दत्तात्रेय	जय राम ठाकुर	शिमला
झारखंड	द्रोपदी मुर्मू	हेमंत सोरेन	रांची
कर्नाटक	वजुभाई वाला	बी.एस. येदियुरप्पा	बंगलुरू
केरल	आरिफ मोहम्मद खान	पिनराई विजयन	तिरुवनंतपुरम
मध्य प्रदेश	आनंदीबेन पटेल (अतिरिक्त प्रभार)	शिवराज सिंह चौहान	भोपाल
महाराष्ट्र	भगत सिंह कोश्यारी	उद्धव ठाकरे	मुंबई
मणिपुर	डॉ. नजमा हेपतुल्ला	एन. बीरेन सिंह	इम्फाल
मेघालय	सत्यपाल मलिक	कोनराड कॉन्गकल संगमा	शिलांग
मिजोरम	पी.एस. श्रीधरन पिल्लई	पू जोरामथंगा	आइजोल
नगालैंड	आर.एन. रवि	नेफ्यू रियो	कोहिमा
ओडिशा	प्रो. गणेशी लाल	नवीन पटनायक	भुवनेश्वर
पंजाब	वी.पी. सिंह बदनौर	कैप्टन अमरिंदर सिंह	चंडीगढ़
राजस्थान	कलराज मिश्र	अशोक गहलोत	जयपुर
सिक्किम	गंगा प्रसाद	प्रेम सिंह तमांग (गोले)	गंगटोक
तमिलनाडु	बनवारी लाल पुरोहित	ई.के. पलानीस्वामी	चेन्नई
त्रिपुरा	रमेश बैस	बिप्लब कुमार देब	अगरतला
तेलंगाना	डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन	के. चंद्रशेखर राव	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	आनंदीबेन पटेल	योगी आदित्यनाथ	लखनऊ
उत्तराखंड	बेबी रानी मौर्या	त्रिवेंद्र सिंह रावत	देहरादून
पश्चिम बंगाल	जगदीप धनखड़	ममता बनर्जी	कोलकाता

केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल/प्रशासक, मुख्यमंत्री तथा राजधानी

केंद्रशासित प्रदेश	उप-राज्यपाल/प्रशासक	मुख्यमंत्री	राजधानी
जम्मू-कश्मीर	मनोज सिन्हा (उपराज्यपाल)	–	श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन), जम्मू (शीतकालीन)
लद्दाख	राधा कृष्ण माथुर (उपराज्यपाल)	–	लेह
दिल्ली (एनसीटी)	अनिल बैजल (उप-राज्यपाल)	अरविंद केजरीवाल	नई दिल्ली
पुदुचेरी	किरण बेदी (उप-राज्यपाल)	वी. नारायणसामी	पुदुचेरी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	देवेंद्र कुमार जोशी (उप-राज्यपाल)	–	पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़	वी.पी. सिंह बदनौर (प्रशासक)	–	चंडीगढ़
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	प्रफुल्ल पटेल (प्रशासक)	–	दमन
लक्षद्वीप	दिनेश्वर शर्मा (प्रशासक)	–	कवरत्ती

अपने नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से प्राप्त करें या

shop.ssgcp.com पर ऑनलाइन आर्डर भेजें।